International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 18-08-2024, Accepted: 17-09-2024, Published: 02-10-2024
Volume 10, Issue 5, 2024, Page No. 14-17

ग्रामीण बिहार में महिला सशक्तिकरण में कुटीर एवं लघु उधोग की भूमिका: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

शीलु कुमारी
अर्थशास्त्र विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

सारांश
किसी भी देश के विकास में पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक, आर्थिक विकास की अवधारणा महिलाओं के विकास के बिना अधूरी है। यदि देश को सभी क्षेत्रों में विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं के विकास से देश का आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास स्वत: हो जाएगा। हमारा देश गाँवों का देश है जिसमें आधी आबादी महिलाओं की है। ग्रामीण महिलाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ना बहुत आवश्यक है। इस संदर्भ में महिला उधमिता ग्रामीण और शहरी ग़रीबी की समस्या के समाधान की कारगर रणनीति के रूप में देखा जाने लगा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मज़बूती के लिए महिला उधमियों की संख्या में वृद्धि आवश्यक है। महिला उधमी अन्य महिलाओं को भी कारोबार शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। इससे महिलाओं के के लिए और भी अधिक संख्या में रोज़गार के अवसर उत्पन्न होते हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव महिला–पुरुष असमानता को कम करने में मदद मिलती है। महिला उधमिता से परिवार और समाज में आर्थिक खुशहाली लाने, ग़रीबी कम करने और महिला सशक्तिकरण में मदद मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु उधोगों के माध्यम से महल उधमिता को बढ़ावा दिया जा सकता है। कुटीर उधोगों एवं लघु उधोगों में बहुत कम राशि, कम कौशल इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। इसका प्रभाव ऋंखला अभिक्रिया की तरह होता है यानी कि कुछ महिला उधमिता के तैयार होने पर बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार मिलता है।
बिहार के कोसी क्षेत्रों में बाढ़ एवं ग़रीबी के कारण लोगों का पलायन दूसरे विकसित राज्यों में बहुत तेजी से हुआ है। ऐसी परिस्थिति में इस क्षेत्र में महिला श्रमबल अधिक है। कोसी क्षेत्र में कुटीर एवं लघु उधोग में कम पूँजी निवेश से अधिक उत्पादन और अधिक रोज़गार सृजन किया जा सकता है। इस क्षेत्र में कुटीर उधोगों में अगरबत्ती उधोग, पापड़ उधोग, मोमबती उधोग, हस्तकरघा उधोग, बाँस से निर्मित सामानों का उधोग, मिट्टी के बर्तन निर्माण उधोग इत्यादि की बहुत संभावना है। वहीं लघु उधोग में चमड़ा उधोग, कांस्य वस्तु निर्माण, डेयरी उधोग, क़ालीन उधोग इत्यादि की संभावना बहुत अधिक है। कुटीर एवं लघु उधोग के संचालित करने में कुछ चुनौतियाँ भी है। इन चुनौतियों में पूँजी निवेश, बाज़ार, बीमा, भंडारण, सब्सिडी, बैंक से ऋण की समस्या, परिवहन, माल ढुलाई में ख़र्चा, डिजिटल बाज़ार से वंचित होना, कुशल श्रमशक्ति का न होना, उरानी तकनीक, बुनियादी ढाँचे की कमी इत्यादि है।

मूलशब्द: कुटीर उधोग, लघु उधोग, महिला उधमिता, रोज़गार सृजन, महिला सशक्तिकरण, कोसी क्षेत्र, पलायन

भारत में कुटीर एवं लघु उधोग की परंपरा बहुत पुराना है। कुटीर उधोग के अंतर्गत मोमबती निर्माण, अगरबती निर्माण, आचार निर्माण, पापड़ निर्माण, हस्तकला निर्मित वस्तु, बाँस से निर्मित वस्तुएँ इत्यादि शामिल है। लघु उधोग के अंतर्गत हथकरघा, छोटे इंजीनियरिंग वस्तु निर्माण, क़ालीन निर्माण, खादी वस्त्र निर्माण, कृषि आधारित उधोग, खाद्य प्रसंस्करण उधोग इत्यादि शामिल है। इन दोनों उधोगों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बड़े पैमाने पर ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार देता है। ग्रामीण महिलाओं की संख्या दुनिया की आबादी का एक चौथाई से ज़्यादा है। 15 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्रामीण महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्रामीण महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा कृषि श्रम शक्ति और अनौपचारिक कामों में शामिल रहा है, जिसमें परिवारों और घरों में देखभाल और घरेलू काम शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में ग्रामीण आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 48.6 प्रतिशत है। ग्रामीण महिलाएँ ज़्यादातर खेती और छोटे–मोटे व्यवसायों में लगी रहती हैं। लेकिन कई सरकारी समर्थित मिशन और कार्यक्रम हैं जहाँ वे उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जिन्हें आशा या मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहा जाता है, ताकि वे समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक इंटरफ़ेस के रूप में काम कर सकें।
कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प एक और स्रोत है जो ऐसी कई महिलाओं को रोजगार और आजीविका का स्रोत प्रदान करता है। ये कार्य अवसर ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करते हैं (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उधोग मंत्रालय 2023, पृष्ठ संख्या–1)। ग्रामीण महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, जो कई भूली–बिसरी विरासत कलाओं और शिल्पों को पुनर्जीवित कर रही हैं, कई संरचनात्मक बाधाएँ और भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंड हैं जो ग्रामीण घरों और समुदायों में महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति को बाधित करते हैं। महिलाओं को उत्पादक संसाधनों और परिसंपत्तियों, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सार्वजनिक सेवाओं और पानी और स्वच्छता सहित बुनियादी ढाँचे तक समान पहुँच की कमी है।
महिलाओं को ध्यान में रख कर कृषि आधारित कुटीर एंव लघु उद्योग को बढ़ावा देना समय की मांग हो गई है। क्योंकि जीवन स्तर एवं बेहतर स्वास्थ्य में धनात्मक एवं गुणात्मक सुधार तभी संभव है जब उक्त उद्योग से महिलाओं को जोड़ा जाय। कोसी क्षेत्र में कुटीर एवं लघु उधोग महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में सामने आया है। ग्रामीण कुटीर उधोग की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी स्थापना के लिए कम पूँजी की आवश्यकता होती है (सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उधोग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022, पृष्ठ संख्या–12) [1]। इसकी यह विशेषता ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोज़गार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उपलब्ध करवाती है। कुटीर उधोग एवं लघु उधोग के विकास में समाज के स्वालम्बन की संभावना भी निहित है। कुटीर उधोग में पापड़ उधोग, अगरबत्ती निर्माण उधोग, मिट्टी के बर्तन निर्माण, हस्तकला निर्माण, माचिस उधोग इत्यादि शामिल है।
लघु उधोग में चमड़ा उधोग, कोयर उधोग, खाड़ी वस्त्र उधोग, हथकरघा उधोग इत्यादि शामिल है। इन दोनों तरह के उधोगों

की स्थापना से महिलाओं के लिए रोज़गार सृजन, महिला उधमिता, पूँजी निर्माण, पूँजी बचत, महिला सशक्तिकरण इत्यादि में बहुत सहायता मिलती है (शेली, शर्मा और बाबा 2020, पृष्ठ संख्या–87)। इसके अलावा कुटीर एवं लघु उधोगों के माध्यम से रोज़गार सृजित करने के साथ–साथ ग्रामीण बिहार के संतुलित क्षेत्रीय विकास में भी मदद मिलती है। कुटीर एवं लघु उधोग महिला उधमिता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महिला उधमिता हमारी आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। महिलाओं को स्वालंबी बनाए बिना महिला सशक्तिकरण के विजन को साकार नहीं किया जा सकता है (अमुथा 2022, पृष्ठ संख्या–4) [3]। विशेषकर ग्रामीण परिवेश में जहां महिलायें पर्याप्त रूप से शिक्षित और कुशल नहीं है। साथ ही ग्रामीण परिवेश के कारण महिलाओं को घर से दूर काम पर जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में कुटीर एवं लघु उधोग को बढ़ावा देकर हीं महिलाओं को को उनके घर के आस–पास रोज़गार प्राप्त हो सकता है।

महिला सशक्तिकरण में कुटीर एवं लघु उधोग की भूमिका

भारत में कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्रों में सर्वाधिक लोग कार्यरत है। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन बेरोज़गारी है। यानी कि इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत है जिसके कारण उत्पादकता की तुलना में कम रोज़गार मिल पाता है। इस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण भारत में ऐसे रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने की ज़रूरत है कि जिनसे कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कम हो। ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूँजी उपलब्ध है जबकि श्रमबल बहुत अधिक है। ऐसी परिस्थिति में कुटीर एवं लघु उधोग की उपयोगिता बढ़ जाती है। कुटीर एवं लघु उधोगों में कम पूँजी के विनिवेश से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और इसमें अधिकाधिक संख्या में रोज़गार उपलब्ध कराया जा सकता है (कौर और पांडे 2022, पृष्ठ संख्या–9)। कुटीर एवं लघु उधोग आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को कम कर के आय एवं सम्पति की असमानताओं को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ लोगों का विभिन्न कारणों से पलायन हुआ है। इस पलायन के कारण महिला श्रमबलों की संख्या पुरुष श्रमबल की तुलना में बहुत अधिक हो गई है। इन महिला श्रमबलों को कुटीर एवं लघु उधोग में रोजगार दिया जा सकता है।

भारत के आर्थिक परिदृश्य में कुटीर एवं लघु उधोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार अपने कार्यकर्मों, नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से कुटीर एवं लघु उधोगों को मज़बूती दे सकता है। कुटीर एवं लघु उधोगों के मज़बूत होने से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उधमिता में वृद्धि, रोज़गार सृजन, आर्थिक समृद्धि इत्यादि में मदद मिलेगी। कुटीर एवं लघु उधोग ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोज़गार के अत्यंत व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभर कर आया है। इसके साथ ही सच्चाई यह भी है कि कुटीर उधोग और लघु उधोग के विकास में हीं ग्रामीण समाज के स्वालंबन की संभावना निहित है। आर्थिक उदारीकरण के बाद से कुटीर और लघु उधोग को महत्व दिया जाने लगा है क्योंकि ये दोनों प्रकार के उधोग बड़े उधोगों को आधारभूत समान उपलब्ध करवाता है (धुर्वे 2022, पृष्ठ संख्या– 809) [5]।

कुटीर एवं लघु उधोग को मज़बूत करने के लिए केंद्र और राज्य स्तरों पर कार्यक्रमों, नीतियों इत्यादि संचालन हो रहा है। ग्रामीण आबादी के आर्थिक विकास का सबसे सार्थक सशक्त माध्यम कुटीर एवं लघु उधोग है। स्वतंत्र भारत में कुटीर एवं लघु उधोग के विकास पर लगातार विशेष ज़ोर दिया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कुटीर एवं लघु उधोग के क्षेत्र में उधमिता को बढ़ाया है। ग्रामीण महिलाओं के उधमिता संबंधी अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से भारत और बिहार सरकार ने कई परियोजनाओं की शुरूआत किया है। केंद्र सरकार के दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्टार्ट अप ग्रामीण उधमिता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ग्रामीण स्टार्ट अप उधमिता कार्यक्रम के तहत क़रीब 75 प्रतिशत उधमों का मालिकाना हक़ और प्रबंधन महिलाओं के पास है (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उधोग मंत्रालय 2024, पृष्ठ संख्या–1)।

भारतीय महिलाओं ने बहुत पहले से ही व्यवसाय चलाने के लिए समझदारी और स्वाभाविक प्रतिभा का परिचय दिया है। भारत के सुदूर इलाकों में भी, ऐसी उद्यमी महिलाओं को ढूंढना आसान है, जिन्होंने अपने परिवारों की मदद के लिए घर पर बनी मिठाइयाँ, नमकीन, हाथ से बुने हुए कपड़े या शोपीस जैसे उत्पादों का सूक्ष्म उद्यम शुरू किया है। जैसे–जैसे भारत आगे बढ़ा, वैसे–वैसे इसकी महिलाएँ भी आगे बढ़ीं। भारतीय महिलाएँ नवोन्मेषी उत्पाद और सेवाएँ लाकर, रोज़गार के अवसर बढ़ाकर और आर्थिक विकास को गति देकर भारत के सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSME) क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हाल ही में, एमएसएमई क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, जिसमें महिलाओं ने उद्यमशीलता की चुनौतियों को पार करते हुए अपनी पहचान बनाई है।

वित्त वर्ष 22 में महिलाओं के नेतृत्व वाले एसएमई की संख्या में 75 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो एक साल पहले 4.9 लाख इकाइयों से बढ़कर 8.59 लाख इकाई हो गई। एमएसएमई ने अन्य उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी दर (24 प्रतिशत) भी दर्ज की है। महिला उद्यम निधि योजना, अन्नपूर्णा योजना और स्टैंड–अप इंडिया योजना जैसी सरकार द्वारा शुरू की गई कई पहलों ने एमएसएमई क्षेत्र में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया है। ये पहल वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए उद्योग–संबंधित कौशल विकसित करने में मदद करती हैं। इसके अलावा, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र (एनआरसीडब्ल्यू) खोलने से इन उद्यमियों को नियमित सहायता प्रदान करने में मदद मिली है (बानिक 2022, पृष्ठ संख्या–2)। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी, कम कर और कर छूट जैसे विभिन्न कर लाभों ने उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को काफी हद तक बढ़ा दिया है।

चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

पिछले कुछ सालों में महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन उनका संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एक बड़ा मुद्दा जो महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की प्रगति में बाधा बन रहा है, वह है औपचारिक वित्त की आवश्यकता। आज तक, ऐसे उद्यमियों ने अपने स्टार्ट–अप को स्वयं वित्तपोषित किया है या उन्हें उच्च ब्याज दर पर अनौपचारिक ऋण का सहारा लेना पड़ा है। सांख्यिकीय रूप से, महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई में 158 मिलियन अमरीकी डॉलर का वित्तीय घाटा है। इसका एक मुख्य समाधान डिजिटलीकरण है। महिला उद्यमियों को फंडिंग की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर टियर II और टियर III शहरों में, क्योंकि उन्हें डिजिटल लेंडिंग स्पेस के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसके अलावा, COVID–19 महामारी ने भी महिला उद्यमियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। समय की मांग है कि वित्तीय साक्षरता और डिजिटल समाधानों के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया जाए। इससे उन्हें आर्थिक और उद्यमशीलता की स्वतंत्रता के साथ सफलता की राह पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। एक संभावित समाधान यह है कि अधिक भौतिक और आभासी प्लेटफार्मों का निर्माण किया जाए जो महिला उद्यमियों के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर सकें और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें किफायती डिजिटल समाधान उपलब्ध करा सकें (विश्व बैंक समूह 2023, पृष्ठ संख्या–1)।

हाल ही में घोषित 2024–25 बजट ने एमएसएमई को प्रभावित करने वाली मूल समस्या को उजागर किया है। लैंगिक और

सामाजिक विभाजन को ध्यान में रखते हुए, इसका उद्देश्य असमानताओं और लैंगिक पूर्वाग्रहों को खत्म करना है। इसके अलावा, यह महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों को बेहतर पहुंच और पैमाने के लिए एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने में मदद करेगा। पारदर्शी और लोकतांत्रिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की धारणा को बढ़ाने वाले आत्मनिर्भर भारत के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में राज्यों से अपनी राजधानियों में एक "यूनिटी मॉल" स्थापित करने का आग्रह किया। इस कदम से, इस पहल को डिजिटल बाजारों के साथ एकीकृत करने के प्रयासों के साथ, महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई को मदद मिलने की उम्मीद है। एमएसएमई क्षेत्र में महिला उद्यमियों को संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना से भी लाभ होगा, जिससे उधार लेने की लागत कम होगी और उनकी बैलेंस शीट में सुधार होगा (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उधमिता मंत्रालय 2023, पृष्ठ संख्या–1)।

उद्योग पर्यवेक्षकों का कहना है कि सामाजिक अपेक्षाएँ और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ अक्सर महिलाओं की आर्थिक अवसरों तक पहुँच को सीमित करती हैं। महिला उद्यमियों, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, अक्सर सीमित संपत्ति स्वामित्व, संपार्श्विक की कमी और भेदभावपूर्ण ऋण प्रथाओं जैसे कारकों के कारण पूंजी, ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े अनौपचारिक आधार वाले देश को तत्काल अधिक लिंग–संवेदनशील नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो महिला उद्यमियों को वित्तीय संसाधनों तक आसान पहुंच प्रदान करें। इसमें लक्षित ऋण, वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए समर्पित उद्यम पूंजी निधि शामिल हो सकती है (प्रधान 2022, पृष्ठ संख्या–12) [9]।

अध्ययनों से पता चला है कि महिलाओं को पूंजी, ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ सीमित संपत्ति के स्वामित्व, संपार्श्विक की कमी और भेदभावपूर्ण ऋण प्रथाओं जैसे कारकों से उत्पन्न होती हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उधोग मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 85 प्रतिशत महिला उद्यमियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण सेवाएँ प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अधिक महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई उपायों की आवश्यकता है। सांस्कृतिक मानदंड अक्सर महिलाओं को काम के लिए बाहर निकलने से हतोत्साहित करते हैं, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में।

बजटीय आवंटन में वृद्धि करके और अधिक महिला स्वामित्व वाले व्यवसायों की सेवा के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को तैयार करके बैंक वित्त तक पहुंच में सुधार करना अत्यावश्यक है। इसके अलावा, महिलाओं ने ऋण चुकाने का अच्छा रिकॉर्ड स्थापित किया है (90 प्रतिशत से अधिक), इसलिए बैंकों को महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों को ऋण देने के लिए और अधिक तत्परता से आगे आना चाहिए। उद्योग के पर्यवेक्षकों का कहना है कि महिला उद्यमियों की सफलता के लिए मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है। इसलिए, महिलाओं को कस्टमाइज़्ड ट्रेनिंग देना, उनकी उद्यमशीलता की यात्रा के हर पड़ाव पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से सलाह देना और नियमित नेटवर्किंग और सहकर्मी–सीखने के अवसरों का आयोजन करना महिलाओं की उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ा सकता है (बरुआ 2020, पृष्ठ संख्या–2) [10]।

महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ाने की कुंजी एमएसएमई के भीतर रोजगार पैटर्न को बदलने में निहित है। जबकि भारत में एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी दर आम तौर पर कम है। दक्षिणी राज्यों में विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, विशेष रूप से तमिलनाडु में, बड़े उद्यमों और एमएसएमई में प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए उच्च है। दक्षिण और पश्चिम भारत में कपड़ा, चमड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी पारंपरिक रूप से अधिक रही है। यह सेवा क्षेत्र में भी अधिक है, खासकर शहरों में, आईटी और आईटीईएस और बैंकिंग उद्योगों में बैकएंड संचालन भूमिकाओं में। ये पैटर्न हमें दो बातें बताते हैं – एक, महिलाएँ कार्यबल में तब आती हैं जब उनकी बहुसंख्यक होने की संभावना होती है, जिसका अर्थ है कि भूगोल और क्षेत्र मायने रखता है; और दूसरा, महिलाएँ मुख्य रूप से प्रवेश स्तर की भूमिकाओं में मौजूद हैं और बीच में एक बड़ी कमी है। ये बाधाएँ महिलाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए धन प्राप्त करने से रोककर आर्थिक अवसरों में लैंगिक असमानताओं में और योगदान देती हैं। इस स्थिति को ठीक करने के लिए केंद्रीय बजट में विशेष प्रावधान किया जा सकता है। देश को पर्यवेक्षी पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि महिलाएँ कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, तो वे इससे दूर रहती हैं। कार्य–एकीकृत शैक्षिक कार्यक्रम, कंपनियों को महिलाओं को काम पर रखने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और प्रबंधकीय कार्यक्रम महिलाओं को कार्यबल में ला सकते हैं।

निष्कर्ष

इस संदर्भ में, यह याद रखना ज़रूरी है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों ने महामारी के दौरान मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइज़र जैसे ज़रूरी उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करके अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा, मुश्किल समय में इन उद्यमों का लचीलापन अनुकरणीय रहा है। भारत वर्ष 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है, क्योंकि रोजगार और औद्योगिक उत्पादन में इनका महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिला उद्यमियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सहायता करना और उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभों का लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षित करना, मूल्यवान ब्रांडों के निर्माण की ओर ले जाएगा जो भारत की प्रगति को गति देगा। नवाचार और लचीलेपन को केंद्र में रखते हुए, महिला उद्यमियों को बदलाव का वाहक कहा जा सकता है।

यह भी स्पष्ट है कि शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों तक पहुँच की कमी महिलाओं की उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने की क्षमता में बाधा डाल सकती है। लक्षित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल की पेशकश जो व्यवसाय प्रबंधन कौशल, तकनीकी प्रशिक्षण और सलाह प्रदान करती है, महिलाओं को इन चुनौतियों से उबरने और उद्यमियों के रूप में आगे बढ़ने के लिए सशक्त बना सकती है। नेटवर्किंग के अवसर, सलाह कार्यक्रम और व्यवसाय सहायता सेवाएँ बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, महिला उद्यमियों की दृश्यता और सफलता की कहानियों को बढ़ावा देना दूसरों को प्रेरित कर सकता है और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमियों को बाजार और आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुँचने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर ऐसी विचारधाराएँ बनानी चाहिए जो हमारे देश में ग्रामीण महिलाओं के उत्थान की दिशा में काम करें। इन अंतरों को पाटने की दिशा में काम करने से ग्रामीण महिलाओं के उत्पादन में काफी हद तक वृद्धि हो सकती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। हमें ऐसी प्रमुख पहल करने की ज़रूरत है जो अधिक वित्तीय समावेशन, परिवर्तन एजेंट के रूप में इन महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रभावी तंत्र और सामाजिक, आर्थिक और जलवायु लचीलापन लाभ पैदा करने के लिए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के जबरदस्त मूल्य पर ध्यान केंद्रित करें।

संदर्भ सूची

1. सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उधोग मंत्रालय (2022), वार्षिक रिपोर्ट 2010–2022, URL: https://www.msme.gov.in/sites/default/files/MSME_AR_%20HINDI_2009_10.pdf
2. शेली, ऋचा और बाबा सिमरजीत सिंह (2022), "भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका", आर्थिक और वित्तीय मुद्दों का जर्नल, वॉल्यूम–10, संख्या–5, पृष्ठ संख्या–84–91
3. अमुथा, डी० (2022), "भारत में उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में एमएसएमई की भूमिका", जर्नल ऑफ़ इकोनोमिक डिवेलप्मेंट, वॉल्यूम संख्या पृष्ठ संख्या
4. सेल्वम, मारी (2021), "भारत में एमएसएमई सेक्टर की भूमिका और प्रदर्शन", रीसर्च इक्स्प्लोरर जर्नल, वॉल्यूम–9,–31, संख्या पृष्ठ संख्या–31–35
5. धुर्वे, वंदना (2022), "कुटीर उधोगों में संलग्न महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का अध्ययन", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ साइयंटिफ़िक रीसर्च इन साइयन्स एंड टेक्नोलोज़ी, वॉल्यूम–9, संख्या–3, पृष्ठ संख्या–804–810
6. दवादे, संतोष कुमार (2022), "आत्मनिर्भर भारत: कुटीर उधोग का योगदान", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ फिनांसीयल रीसर्च, वॉल्यूम–5, संख्या–2, पृष्ठ संख्या– 1–6
7. कुमार, मदन (2023), "भारत में लघु एवं कुटीर उधोग की स्थिति: एक अनुशीलन", रीसर्च पेपर, वॉल्यूम–9, संख्या–2, पृष्ठ संख्या– 18–20
8. केंद्र सरकार (2023), लघु उधोग क्षेत्र के लिए संगठन संरचना, URL:https://dcmsme.gov.in/publications/books/laghu/ch2.pdf
9. प्रधान नितिन (2022), "लघु और कुटीर उधोग: वर्तमान और भविष्य", कुरुक्षेत्र, वॉल्यूम–1, संख्या–1, पृष्ठ संख्या– 10–20
10. बरुआ, श्रीअपर्णा (2020), महिला उधमियों हेतु अवसर और चुनौतियाँ, कुरुक्षेत्र, वॉल्यूम–7, संख्या–1, पृष्ठ संख्या–1–5